फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक – 21.06.2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/2025 धारा 87/64 बीएनएस से सम्बन्धितअभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर, रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री अजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/2025 धारा 87/64 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू मिश्रा पुत्र कल्लू उर्फ अवधेश मिश्रा निवासी चौसार थाना अरवर जनपद हरदोई को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. सोनू मिश्रा पुत्र कल्लू उर्फ अवधेश मिश्रा निवासी चौसार थाना अरवर जनपद हरदोई।

घटना का विवरणः- दिनांक 08.06.2025 को मुकदमा वादिया द्वारा थाना कमालगंज पर लिखित तहरीर दी गयी की अभियुक्तगण द्वारा वादिया की नातिन का अपहरण कर लिया गया है। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/2025 धारा 87 बीएनएस बनाम रवि पुत्र करूणा शंकर आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस के आधार पर धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त सोनू मिश्रा पुत्र कल्लू उर्फ अवधेश मिश्रा निवासी चौसार थाना अरवर जनपद हरदोई का नाम प्रकाश मे आया। जिसे थाना कमालगंज द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त सोनू मिश्रा उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म से इनकार करते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त सोनू मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 153/2025 धारा 87/64 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री बलबीर सिंह
2. का0 जयवेन्द्र
3. का0 मोहन लाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-21.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुबोध यादव पुत्र रामनिवास निवासी बलीपुर उलियापुर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-205/2023 वाद सं0- 8813/2023 धारा- 457,380,411 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 21.06.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वाराअभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एपीओ- श्री जितेन्द्र सिंह

को0मो0 का0 प्रिंस तेवतिया

पैरोकार हे0का0 विनीत कुमार